न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 31/2017 अपील
पंजीयन दिनांक – 22–05–2017
निर्णय दिनांक – 03–10–2017

श्रीमती प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री नारायण डांगी निवासी खरबड़िया, हाल निवासी मनवा खेड़ा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

–अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती वरदी बाई पुत्री स्व. श्री राजू डांगी , पत्नी श्री मांगीलाल डांगी, निवासी जालों की घाटी, कानपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री शंकरलाल पुत्र स्व. श्री राजू डांगी , निवासी खरबड़िया नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती अनीता पुत्री स्व. श्री राजू डांगी , पत्नी श्री किशन लाल डागी, निवासी सबलपुरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती पन्नी बाई पत्नी स्व. श्री राजू डांगी, निवासी खरबड़िया नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.)

–रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित–

1– श्री अजय सिंह हाड़ा – अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री सुखराम डिडेल – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

द्वितीय अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दिनांक 10.04.2017 प्रकरण संख्या 03/2016.

निर्णय

दिनांक 03.10.2017

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर उदयपुर के निर्णय दिनांक 10.04.2017 प्रकरण संख्या 03/2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मौजा मटुन पटवार मण्ड़ल मटुन के खसरा नं. 17, 22, 38, 42, 1022, 1023, 1068, 1078, 1713,1714, 1715, 1716, 1730, 1779, 1782, 1788, 2081, 2082, 2727/1079 कुल किता–19 कुल रकबा 3.0650 है. भूमि नारायण, राजू पिता कुकाजी डांगी निवासी खरबड़िया तहसील गिर्वा जिला उदयपुर मूल खातेदार थे। श्री नारायण पिता कुकाजी डांगी फौत हो जाने से 8 वर्ष पश्चात् श्री नारायण डांगी की बजाय उसके भाई राजू डांगी के नाम नामान्तरकरण सख्या 222 दिनांक 24.06.1992 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील 24 वर्ष बाद न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में देरी से अपील पेश की गई। न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर ने अपील देरी से पेश करने के संतोषजनक कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया जाना माना गया एवं अपीलान्ट ने खातेदारी घोषणा की दाद चाही गई है जिसे नामान्तरकरण की फौरी कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडींग की कार्यवाही होने से उसमें किसी के हित एवं अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अपीलान्ट नियमित वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता है। इसी आधार पर अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 10.04.2017 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन/नोटिस सूचित किया गया। तहत का अभिलेख मंगाया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विपरित होकर कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है। वादग्रस्त भूमि दोनों भाई यानिकी नारायण, राजू पिता कूका डांगी के नाम संयुक्त रुप से खाते दर्ज थी। नारायण की मृत्यु के बाद अपीलार्थी उनकी पुत्री होने से वैध वारिस होने के नाते भूमि का अंकन उसके नाम दर्ज होना चाहिये था, परन्तु राजू के मन में बदनियति आने से उक्त भूमि का नारायण की मृत्यु के बाद नारायण के स्थान पर राजस्व अधिकारी/ कर्मचारी से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा दी गई। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील देरी से पेश करने के कारण विश्वसनीय

एवं संतोषजनक नहीं मानकर अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का पारित आदेश विधि विपरित होने से खारिज योग्य है। जबकि अपीलान्ट को अपने हिस्से की भूमि पर बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता हुई तो अपीलान्ट ने अपने व्यवसायी बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि की जमाबंदी प्राप्त करने पर इसका ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही दिनांक 15.12.2015 को नकल प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत कर दी गई। जबकि मौके पर उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर कब्जा अपीलार्थी का है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 222 दिनांक 24.06.1992 को स्वीकृत करते समय अपीलार्थी को सुना जाता तो सही स्थिति का ज्ञान हो जाता । इस प्रकार अपीलार्थी को बिना सुने खोला गया नामान्तरकरण अवैध व शून्य है। अन्त में अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.04.2017 एवं तहसीलदार गिर्वा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 222 दिनांक 24.06.1992 को निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के सर्मथन में आर.आर.टी. 2011(1) पेज 432 एवं आर.आर.टी. 2013(2) पेज 766 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान वकील रेस्पों. ने बहस में बताया कि नारायण डांगी का स्वर्गवास सन् 1975 में हुआ था। रेस्पों. के पूर्व पुरुष राजू डांगी के नाम विरासत से नामान्तरकरण संख्या 222 दिनांक 24.06.1992 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा समस्या समाधान शिविर 1992 में केम्प मटुन में स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए अपीलान्ट अपील पेश करने की पात्रता नही रखती है एवं धारा –5 मियाद अधिनियम के सम्बन्ध में प्रार्थीया ने ऋण लेने की समस्त बातें गलत मिथ्या एवं मनगढन्त बतायी गयी है। उक्त नामान्तरकरण 1992 में खोला गया, अपीलान्ट ने अपनी मर्जी से दिनांक 24.06.1992 से 15.12.2015 तक लगभग 24 वर्ष की अवधि को कण्डोन करने बाबत कानूनन मियाद का बिन्दु पर प्रत्येक दिन का विवरण लिखकर उचित कारण बताना आवश्यक हैं। जबकि अपीलान्ट ने ऐसा कोई कारण नहीं लिखा है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पेश करने में की गई देरी को कन्डोन करने बाबत जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं संतोष जनक नहीं माना है। और आगे यह भी बताया कि नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में खातेदारी अधिकारी तय नहीं किये जा सकते है। अपीलान्ट नियमित वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 में कोई

विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट ,खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि नारायण डांगी का स्वर्गवास सन् 1975 में हुआ था। रेस्पों. के पूर्व पुरुष राजू डांगी के नाम विरासत से नामान्तरकरण संख्या 222 दिनांक 24.06.1992 को तहसीलदार गिर्वा द्वारा समस्या समाधान शिविर 1992 में केम्प मटुन में स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम अपील 24 वर्ष बाद न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में देरी से अपील पेश की गई। अपील देरी से पेश करने के संतोषजनक कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया जाना अधिनस्थ न्यायालय ने भी माना है एवं अपीलान्ट ने खातेदारी घोषणा की दाद चाही गई है जिसे नामान्तरकरण की फौरी कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडींग की कार्यवाही होने से उसमें किसी के हित एवं अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। अपीलान्ट चाहे तो वाद दायर करा दाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10..04.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
चउदयपुर